

विधान सभा सचिवालय
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली
समाचार भाग-2
(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
बुधवार, 24 फरवरी, 2021/05, फाल्गुन, 1942 (शक)

संख्या- 46

सदस्य की दोषसिद्धि

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि अधीक्षक, केन्द्रीय कारावास संख्या-2, तिहाड़, नई दिल्ली से 24 फरवरी, 2021 को निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:-

“यह प्रस्तुत किया जाता है कि आज अर्थात् दिनांक 23.02.2021 को गोकलपुर विधान सभा क्षेत्र के आसीन विधायक सुरेन्द्र कुमार, सुपुत्र मंगत राम को श्री विकास ढल, आदरणीय विशेष न्यायधीश (पीसी एक्ट), सी.बी.आई, राउज एवेन्यू कोर्ट, नई दिल्ली की माननीय न्यायालय द्वारा गोकलपुरी थाना में दर्ज एफ.आई.आर संख्या 267/2010 की धारा 147/332/427 आई.पी.सी के साथ पठित 149 आई.पी.सी के अतर्गत दोषी ठहराया गया है तथा 06 महीने के साधारण कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना एवं जुर्माने की चूक में 30 दिनों के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। उन्हें केन्द्रीय कारावास संख्या-2 में दाखिल किया गया है।”

सी. वेलमुरुगन
सचिव

**LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
BULLETIN PART-II**

(General information relating to legislative and other matters)
Wednesday, 24 February, 2021/05, Phalgun, 1942 (Saka)

No. 46

CONVICTION OF MEMBER

Hon'ble Members are hereby informed that following message has been received from the Superintendent, Central Jail No. 2, Tihar, New Delhi on 24 February, 2021:-

“It is submitted that today i.e. on 23.02.2021 sitting M.L.A namely Surender Kumar s/o Mangat Ram of Gokalpur Constituency has been convicted by the Hon'ble Court of Sh. Vikas Dhull, Ld. Special Judge (PC Act), CBI-23, Rouse Avenue Court, New Delhi in Case FIR NO. 267/2010, u/s 147/332/427 IPC R/W 149 IPC, P.S. Gokul Puri, and sentenced simple imprisonment for 06 months & fine Rs. 10,000/- in default of payment of fine 30 days simple imprisonment. He has been admitted in Central Jail No. 2.”

**C. Velmurugan
Secretary**